रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 2001/आषाढ़ 18, 1923
No. 351] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 2001/ASADHA 18, 1923

India Code

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2001

सा. का. नि. 513(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 में,—

(क) नियम 11 में, उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) यदि संवीक्षा किए जाने पर आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और पाई गई त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, तो रजिस्ट्रार उस त्रुटि का परिशोधन करने के लिए अपनी उपस्थिति में आवेदक को अनुज्ञात कर सकेगा और यदि त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है तो रजिस्ट्रार, त्रुटि का परिशोधन करने के लिए आवेदक को एक सप्ताह का समय अनुज्ञात कर सकेगा जो समुचित मामलों में आवेदक के लिखित अनुरोध पर बढ़ाया जा सकेगा।"

(ख) नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"22. साक्षियों का समन किया जाना और साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग—

(1) यदि कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों के समन किए जाने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अधिकरण ऐसे साक्षियों के हाजिर होने के लिए समन जारी कर सकेगा जब तक कि वह यह नहीं समझता है कि उनकी हाजिरी मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए आवश्यक नहीं है। तथापि, ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा।"

[सं. 89/टी सी (आर सी टी)/1-6 पार्ट/राज्य सभा]

पद्माक्षी रहेजा, कार्यपालक निदेशक, जन-शिकायत

पाद टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 842(अ) दिनांक 19-9-1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 700(अ) दिनांक 26-11-1991, सा.का.नि. 438(अ) दिनांक 21-4-1992, सा.का.नि. 509(अ) दिनांक 15-6-1994, सा.का.नि. 270(अ) दिनांक 4-7-1996, सा.का.नि. 59(अ) दिनांक 4-2-1997, सा.का.नि. 719(अ) दिनांक 15-10-1999 तथा सा.का.नि. 167(अ) दिनांक 29-2-2000 द्वारा तत्पश्चात् संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2001

G.S.R. 513(E) .— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment, Rules, 2001.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989—

 (a) in rule 11, for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

 " (3) If on scrutiny an application, is found defective and defect noticed is formal in nature, the Registrar may allow the applicant to rectify the same in his presence, and if the defect is not formal in nature, the Registrar may allow the applicant to rectify defect in a week's time, which may be extended in appropriate cases on the written request of the applicant."

 (b) for rule 22, the following rule shall be substituted namely :—

 "22 Summoning of witnesses and method of recording evidence —(1) If an application is presented by any party to the proceedings for summoning of witnesses, the tribunal may issue summons for the appearance of such witnesses unless it considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case. However, the reasons for so doing will be recorded in writing."

[No. 89/TC(RCT)/1-6 Pt./Rajya Sabha]

PADMAKSHI RAHEJA, Executive Director, Public Grievances

Footnote :—The Principal rules were published in the Gazette of India vide GSR 842 (E) dated 19-9-1989 and subsequently amended by GSR 700(E) dated 26-11-1991, GSR 438(E) dated 21-4-1992, GSR 509(E) dated 15-6-1994, GSR 270(E) dated 4-7-1996, GSR 59(E) dated 4-2-1997, GSR 719(E) dated 15-10-1999 and GSR 167(E) dated 29-2-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.